राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प.1(3)कृषि–1/एम0सी0/2017 जयपुर दिनांक : 24/7/2017

अधिसूचना

एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के माध्यम से **ऋणी एवं गैर ऋणी** कृषकों के लिए **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना खरीफ 2017 एवं रबी 2017–18 में तालिका–1 में उल्लेखित जिलों एवं अधिसूचित फसलों** के लिए क्रियान्वित की जायेगी।

तालिका – 1

क्र.स.	जिला	खरीफ 2017	रबी 2017–18
1	अजमेर	–	आँवला, प्याज
2	बाडमेर	अनार , अरण्डी	–
3	बांरा	–	लहसुन
4	भरतपुर	अमरूद	आलू
5	भीलवाडा	अनार, अमरुद	आँवला
6	बूंदी	अमरूद	लहसुन
7	बीकानेर	–	प्याज
8	चित्तौडगढ	अनार, अमरूद	लहसुन, प्याज
9	धौलपुर	अमरूद	आलू
10	गंगानगर	अनार	–
11	जयपुर	मिर्च ,तरबूज, खरबूजा,	प्याज, आँवला
12	जैसलमेर	अरण्डी	–
13	जालौर	अरण्डी	–
14	झालावाड	अमरूद	लहसुन, प्याज
15	झुन्झूनू	–	प्याज
16	जोधपुर	अनार ,अरण्डी	प्याज,
17	नागौर	–	प्याज
18	कोटा	अमरूद	लहसुन
19	पाली	अरण्डी	–
20	प्रतापगढ	–	लहसुन
21	सवाईमाधोपुर	मिर्च, अमरूद	–
22	सीकर	तरबूज	प्याज,
23	सिरोही	अरण्डी	–
24	टोंक	मिर्च	–

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना खरीफ 2017 एवं रबी 2017–18 के अन्तर्गत जिलेवार अधिसूचित फसलें, बीमित राशि, प्रीमियम दरें, एवं प्रीमियम राशि का विवरण **परिशिष्ट –1** पर उपलब्ध है।

इस योजना का क्रियान्वयन खरीफ 2017 एवं रबी 2017–18 में निम्न दिशा–निर्देशानुसार किया जाएगा :–

01– **सन्दर्भ इकाई क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले कृषक (बंटाईदार सहित) ही इस योजनान्तर्गत बीमा कराने के लिए पात्र होंगे अर्थात अधिसूचित फसल नही उगाने की स्थिति में कृषकों को योजनान्तर्गत शामिल नहीं माना जाएगा** । जिसका तात्पर्य यह होगा कि राजस्व मंडल अजमेर द्वारा गिरदावरी में दर्शाये गये बुवाई क्षेत्रफल से अधिक बीमित क्षेत्रफल मान्य नहीं होगा। ऐसे सभी कृषक इस योजना में निम्न आधारों पर सम्मिलित माने जाएंगे :–

(i) **ऋणी कृषक (अनिवार्य आधार पर)** : सन्दर्भ इकाई क्षेत्र एवं अधिसूचित फसल के लिए जिन कृषकों की किसी वित्तीय संस्थान (सहकारी बैंक एवं सहकारी समिति, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, व्यवसायिक बैंक एवं भूमि विकास बैंक आदि) द्वारा **खरीफ 2017 एवं रबी 2017–18** मौसम के लिए ऋण की सीमा अनुमोदित (स्वीकृत) की गई हो तथा खरीफ हेतु **31–07–2017** एवं रबी हेतु **31–12–2017** तक ऋण वितरित किया गया हो। उपरोक्त अन्तिम तिथियों तक ऋण लेने वाले सभी कृषकों का इस योजना के अन्तर्गत बीमा करना बैंको के लिए अनिवार्य रहेगा । ऋणी कृषकों का प्रीमियम उनके ऋण खातों से वसूल किया जायेगा । संबंधित बैंक/शाखा फसल बीमा प्रीमियम की कटौती करने से पूर्व कृषक से इस आशय का प्रमाण पत्र लेना सुनिश्चित करेंगे कि उसने इस भूमि पर बोई गई फसल का बीमा किसी अन्य बैंक के माध्यम से नहीं कराया है। कृषक का दोहरा बीमा पाए जाने की स्थिति में संबंधित बीमा कम्पनी को यह अधिकार होगा कि वे ऐसे कृषकों का बीमा एक ही बैंक के लिए स्वीकार कर नियमानुसार बीमा क्लेम का निर्धारण करेंगे । संबंधित बैंक इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि कृषक से दोहरा बीमा नहीं होने के संबंध में शपथ पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

(ii) **गैर ऋणी कृषक (स्वेच्छिक आधार पर)** : गैर ऋणी कृषक अपनी फसलों का बीमा खरीफ में 31–07–2017 तथा रबी में 31–12–2017 तक निकट के ई–मित्र/सी.एस.सी./केन्द्रीय सहकारी बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/वाणिज्यिक बैंक की शाखाओं के माध्यम से करा सकेंगे। इसके अतिरिक्त बीमा कम्पनी के अधिकृत बीमा एजेन्ट अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा भी गैर ऋणी कृषकों का बीमा निम्नानुसार उल्लेखित निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत भी किया जा सकता है। गैर ऋणी कृषक अपनी बोई गई अधिसूचित फसलों का बीमा अपनी स्वेच्छानुसार निम्न शर्तें पूर्ण किए जाने पर ही बीमा करवा सकेंगे:–

(क)–बीमा हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल में बोई गई/बोई जाने वाली फसल के खसरा नम्बरों की नवीनतम जमाबन्दी की नकल स्वयं प्रमाणित कर (Self attested) दिए जाने के बाद ही बीमा किया जा सकेगा।

(ख)–गैर ऋणी कृषकों द्वारा घोषणा–पत्र देना अनिवार्य रहेगा। इस घोषणा–पत्र में प्रत्येक खसरा संख्या का कुल क्षेत्र, प्रस्तावित फसल का बुवाई क्षेत्र, मालिक का नाम एवं बीमा हित का प्रकार (स्वयं, परिवार अथवा बंटाई) का अंकित रहेगा।

(ग)–बीमा प्रस्ताव–पत्र में गैर ऋणी कृषक का आधार कमांक, भामाशाह क्रमांक (उपलब्ध होने पर), बैंक खाता संख्या, बैंक शाखा का नाम, IFSC Code का उल्लेख करना अनिवार्य रहेगा। इसके अलावा कृषक को स्वंय के बैंक खाते की पास बुक की प्रति उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

(ड़)–बीमित कृषक द्वारा जिस कृषक से बंटाई पर जमीन ली गयी है, वह संबंधित खातेदार से लिखित में यह शपथ पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें कि उस खातेदार के द्वारा बीमित कृषक को जमीन बंटाई पर दी गयी है। इस शपथ पत्र में संबंधित कृषि भूमि का विवरण शामिल हो।

(च)–जिस कृषक से बंटाई पर जमीन ली गयी है उस कृषक का स्वयं द्वारा सत्यापित आधार कार्ड एवं भामाशाह कार्ड (उपलब्ध होने पर) की प्रति प्रस्तुत करना होगा।

(छ)–बीमा कम्पनी के अधिकृत एजेन्ट/मध्यस्थी का पूर्ण विवरण जैसेः– एजेन्ट का नाम, पता, टेलीफोन नम्बर/मोबाइल नम्बर, बीमा कवर/पॉलिसी पर अंकित करना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त शर्तों की पालना न होने की स्थिति में संबंधित गैर ऋणी कृषक का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रस्ताव निरस्त माना जाएगा। गैर ऋणी कृषकों के लिए बीमा करवाने (प्रस्ताव–पत्र व देय प्रीमियम जमा करने) की अन्तिम तिथि तालिका 2 एवं 3 के अनुसार रहेगी।

तालिका–2

योजनान्तर्गत खरीफ 2017 मौसम हेतु विभिन्न कार्यो की समय–सीमा

क्र.सं.	गतिविधि	समय सीमा
1	अनिवार्य रूप से बीमित ऋणी कृषकों के लिये ऋण स्वीकृति/नवीनीकरण की अवधि	**खरीफ 2017** मौसम के लिए फसल ऋण 31 जुलाई 2017 तक स्वीकृत किया गया हो
2	ऋणी एवं अऋणी कृषकों से प्रस्ताव प्राप्त करने की अन्तिम तिथि	31 जुलाई 2017
3	बैंकों/बीमा कम्पनियों के अधिकृत प्रतिनिधियों से संबंधित इन्श्योरेंस कम्पनी को संकलित प्रस्ताव भेजने की तिथि	ऋणी कृषकों के लिये 21 अगस्त 2017 एवं अऋणी कृषकों के लिये 11 अगस्त 2017 तक प्रेषित करना होगा

तालिका–3

योजनान्तर्गत रबी 2017–18 मौसम हेतु विभिन्न कार्यो की समय–सीमा

क्र.सं.	गतिविधि	समय सीमा
1	अनिवार्य रूप से बीमित ऋणी कृषकों के लिये ऋण स्वीकृति/नवीनीकरण की अवधि	**रबी 2017–18** मौसम के लिए फसल ऋण 31 दिसम्बर 2017 तक स्वीकृत किया गया हो
2	ऋणी एवं अऋणी कृषकों से प्रस्ताव प्राप्त करने की अन्तिम तिथि	31 दिसम्बर 2017
3	बैंकों/बीमा कम्पनियों के अधिकृत प्रतिनिधियों से संबंधित इन्श्योरेंस कम्पनी को संकलित प्रस्ताव भेजने की तिथि	ऋणी कृषकों के लिये 20 जनवरी 2018 एवं अऋणी कृषकों के लिये 11 जनवरी 2018 तक प्रेषित करना होगा

उपरोक्त अन्तिम तिथियों के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रस्ताव–पत्रों/कृषक सूचियों/प्रीमियम को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा इन प्रस्ताव–पत्रों पर अगर कोई दावा देय रहता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित वित्तीय संस्थाओं की होगी। अन्तिम तिथि तक प्रस्ताव–पत्रों/कृषक सूचियों/प्रीमियम राशि NEFT/RTGS द्वारा सम्बन्धित बीमा कम्पनी को पहुंचाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित वित्तीय संस्थाओं की होगी। नियत अन्तिम तिथि के पश्चात किसी भी प्रकार के प्रस्ताव–पत्रों/कृषक सूचियों एवं प्रीमियम राशि स्वीकार करने का अधिकार बीमा कम्पनी को नहीं होगा। अधिकृत बीमा कम्पनियों को फसल बीमा के लिए अलग से खाता संधारित करना अनिवार्य होगा, जिसमें केवल प्रीमियम प्राप्ति एवं देय बीमा क्लेम राशि का ही संधारण होगा । समस्त बीमा क्लेम इसी बैंक खाते से दिया जाना अनिवार्य होगा।

02– वर्ष 2017–18 के लिए फसलों का बीमा करवानें हेतु ऋणी एवं गैर ऋणी कृषकों को संबंधित बैंक/संस्था को आधार कमांक उपलब्ध करवाना होगा। जो कृषक आधार के लिये अभी नामांकित नहीं हुये है, वे आधार मिलने तक निम्न दस्तावेज प्रस्तुत कर फसल बीमा करवा सकेंगे–

(अ) फोटो के साथ बैंक पासबुक
(ब) आधार नामांकन आई डी पर्ची, यदि वह नामांकित है।
(स) मतदाता पहचान पत्र
(द) किसान फोटो पासबुक
(य) नरेगा जोब कार्ड
(र) ड्राईविंग लाईसेन्स

03– वित्तीय संस्थानों जैसे {वाणिज्यिक बैंक, ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक तथा सहकारी समितियां, भूमि विकास बैंक आदि} द्वारा अधिसूचित फसल सन्दर्भ इकाई क्षेत्र–सन्दर्भ मौसम केन्द्रवार ऋणी एवं अऋणी कृषकों के अलग–अलग घोषणा पत्र बनाए जाएंगे ।

04— अधिसूचित जिले–तहसीलवार सन्दर्भ मौसम केन्द्रों एवं बैक–अप मौसम केन्द्रों की सूची परिशिष्ट–2 पर सलंग्न है जिसके अनुसार मौसम केन्द्रवार दिए गए सन्दर्भ इकाई क्षेत्र अधिसूचित माना जाएगा।

05— योजना का प्रचालन चयनित अधिसूचित सन्दर्भ इकाई क्षेत्रों (सन्दर्भ मौसम केन्द्र का क्षेत्र) में क्षेत्र दृष्टिकोण [AREA APPROACH] के आधार पर होगा। अर्थात् जोखिम स्वीकारने, मुआवजे का आंकलन करने तथा दर्शाए गए मौसम संबंधित प्राचालों का उपयोग करने के लिए सन्दर्भ इकाई क्षेत्र को आधार माना जाएगा। बीमा आवरण एवं बीमा क्लेम के आंकलन से संबंधित शर्तें अधिसूचित सन्दर्भ इकाई क्षेत्रों मे अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले सभी बीमित कृषकों पर समान रूप से लागू होगी ।

मौसमी मापदण्ड वर्षा, तापमान, आर्द्रता, लगातार सूखे दिवसों की अवधि, बेमौसम वर्षा एवं हवा की गति के लिये जिलों के विभिन्न तहसीलों के तहसील क्षेत्र/तहसील के भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त को सन्दर्भित इकाई क्षेत्र निर्धारित किया गया है। गिरदावर वृत मे स्वचालित मौसम केन्द्र स्थापित किये गये है स्वचालित मौसम केन्द्र में अंकित मौसम संबंधी सूचना के अनुसार परिशिष्ट–3 पर संलग्न टर्मशीटों के आधार पर ही बीमा क्लेम निर्धारित किया जावेगा। अन्य किसी भी संस्था का सर्वे/गिरदावरी में दर्शाए खराबे के आधार पर बीमा क्लेम देय नही है।

06— भारत सरकार द्वारा जारी मौसम आधारित फसल बीमा योजना के दिशा–निर्देशों की सभी अधिकृत बीमा कम्पनियों द्वारा शत प्रतिशत पालना सुनिश्चित की जाएगी। यदि किन्हीं कारणवश भारत सरकार से योजना की स्वीकृति नहीं दी जाती है अथवा अनुदान जारी नहीं करने का निर्णय लिया जाता है तो राज्य सरकार द्वारा भी अनुदान जारी नहीं किया जाएगा व योजना के समुचित संचालन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित बीमा कम्पनी का होगा।

07— मौसम बीमा से संबंधित आवश्यक आंकड़ो का संकलन नेशनल कोलेटरल मेनेजमेन्ट सर्विसेज लिमिटेड NCMSL/SKYMET/INGEN के आधुनिक स्वचालित मौसम केन्द्रों के माध्यम से किया जाएगा । बीमा अवधि के दौरान अधिसूचित उक्त स्वचालित मौसम केन्द्र स्थापित करने वाली कम्पनी द्वारा सन्दर्भ मौसम केन्द्रों को सुव्यवस्थित ढ़ग से संचालित करवाने का समस्त उत्तरदायित्व उक्त कम्पनियों का ही होगा।

08— मौसमी आंकड़े प्रदाता कम्पनी दैनिक वर्षा, अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान, आर्द्रता एवं हवा की गति के आंकड़े कृषि विभाग को उपलब्ध कराएगी जिनका भुगतान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कियान्वयन करने वाली बीमा कम्पनी द्वारा सम्बन्धित मौसम प्रदाता कम्पनी को किया जाएगा, कृषि विभाग द्वारा उक्त मौसम सम्बन्धित आंकडे सम्बन्धित बीमा कम्पनी को निःशुल्क उपलब्ध करवाएगी।

09— **बीमा क्लेम की गणना** : प्रत्येक फसल व सन्दर्भ ईकाई क्षेत्र के लिए विभिन्न मौसमी जोखिमों जैसे कम व अधिक वर्षा, लगातार सूखे दिवसों की अवधि, आर्द्रता, कम तापमान, अधिक तापमान, बेमौसम एवं हवा की गति का जिलेवार/ तहसीलवार विस्तृत विवरण [TERM SHEET] में अभिलिखित संबंधित जोखिमों के मौसम आंकड़ों

को निर्धारित जोखिम अवधियों दौरान सन्दर्भ मौसम केन्द्र से प्राप्त आंकडों से मिलान एवं विश्लेषण करके बीमा क्लेम/दावों का आंकलन किया जाएगा।
कृषक के बीमित खेत/क्षेत्र में या पूरे सन्दर्भ इकाई क्षेत्र में बीमित फसल की वास्तविक उपज मे कमी या किसी संस्था, एजेन्सी या प्रशासन द्वारा खराबे का आकंलन, आदि को मुआवजे का आधार नही माना जाएगा। तथा दावों के आंकलन के लिए NCMSL/SKYMET/INGEN के सन्दर्भ मौसम केन्द्र के आंकडों का ही उपयोग किया जाएगा। किसी अन्य मौसम केन्द्र के आंकड़े दावों के आंकलन के लिए मान्य नहीं रहेगें।
किसी कारणवश किसी अवधि के दौरान सन्दर्भ मौसम केन्द्र द्वारा आकड़े उपलब्ध नही करा पाने कि स्थिति में **परिशिष्ट–2** में उस सन्दर्भ मौसम केन्द्र के लिए उल्लेखित बैकअप मौसम केन्द्र–1 के द्वारा उस अवधि के दौरान अभिलिखित आकड़ो का उपयोग किया जाएगा। किसी कारणवश उस अवधि के दौरान बैकअप मौसम केन्द्र–1 द्वारा आकड़े उपलब्ध नही करा पाने कि स्थिति में **परिशिष्ट–2** में उस सन्दर्भ मौसम केन्द्र के लिए उल्लेखित बेकअप मौसम केन्द्र–2 के द्वारा उस अवधि के दौरान अभिलिखित आंकड़ो का उपयोग किया जाएगा। किन्हीं कारणों से बैकअप मौसम केन्द्र–2 के द्वारा उस अवधि के दौरान आंकड़े उपलब्ध न होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा निर्णित मौसम केन्द्र के आंकड़ों का उपयोग किया जाएगा ।
राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा गिरदावरी में दर्शाए गए बुवाई क्षेत्रफल तक ही बीमा क्लेम दिये जाने का आधार होगा। कृषक बुवाई क्षेत्रफल से अधिक बीमा क्लेम पाने का हकदार नहीं होगा। इस संबंध में राज्य स्तरीय समन्वय समिति (फसल बीमा) का निर्णय अंतिम होगा।

10– दावा वितरण से पूर्व संबंधित बीमा कम्पनी द्वारा दावा पत्र राज्य सरकार को प्रेषित करेगें।

11– दावा वितरण : दावों का भुगतान संबंधित बीमा कम्पनी द्वारा प्रीमियम सब्सीडी का भुगतान प्राप्त होने एवं उक्त अवधि के मौसम के प्रमाणित आंकडे प्राप्त होने पर ही बीमा जोख़िम अवधि के खत्म होने के पश्चात 45 दिवस में कृषकों के खातो में सीधा ही डीबीटी के माध्यम से कृषकों के खातों मे भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा किया जाएगा।

12– बैक सर्विस चार्जेसः–सभी बैंको को ऋणी एवं अऋणी कृषको का बीमा करने के लिए कृषक द्वारा देय (NET) प्रीमियम राशि का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर कृषकों से प्राप्त प्रीमियम का चार प्रतिशत बैंकों को सर्विस चार्जेस मौसम समाप्ति के पश्चात प्रदान किया जावेगा।

13– भारत सरकार द्वारा योजना कियान्वयन के जारी दिशा–निर्देश, इनमें विभिन्न कार्यो हेतु अंकित समय–सीमा, कार्य की पद्धति, ऑनलाईन अपलोड की जाने वाली जानकारियों को अपलोड किये जाने का दायित्व क्रियान्वयन संबंधित वित्तीय संस्था एवं बीमा कंपनियों का होगा तथा इस हेतु पृथक से आदेश जारी नही किये जायेंगें।

14– किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश सर्वमान्य होगें।

15– व्यवसायिक बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण (RRBs) के सभी प्रशासकीय अधिकारी अपने शाखा बैंक के अधिकारियों को योजना के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक दिशा–निर्देश उपलब्ध कराते हुए यह सुनिश्चित करायेंगे कि सभी बैंक शाखा बैंक द्वारा बीमा कम्पनी को निर्धारण अन्तिम तिथि तक बीमा प्रस्ताव व कृषक प्रीमियम राशि उपलब्ध हो जाये।

16– सभी बैंक शाखाओं/नोडल बैंक शाखाओं द्वारा बीमा कम्पनी को इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा कि बैंक स्तर से अधिसूचित फसलों हेतु प्रीमियम की कटौती फसल बीमा की अधिसूचना में उल्लेखित निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार की गयी है एवं बैंक द्वारा योजनान्तर्गत सभी पात्र ऋणी कृषकों को फसल बीमा योजना कवरेज प्रदान किया गया है।

17– बैंको द्वारा निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट–3) में कृषकों की सूचना मय सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। जिन बैंको द्वारा कृषकों की सूची सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध नहीं कराई जाएगी, ऐसे बैंको द्वारा प्रेषित प्रीमियम राशि बीमा कम्पनी द्वारा स्वीकार नहीं की जाएगी तथा कृषकों की फसलों का बीमा नहीं होगा।

18– बीमा कम्पनियों को साप्ताहिक फसल बीमा प्रगति से जिला प्रशासन एवं कृषि आयुक्तालय, जयपुर को अवगत कराना होगा।

19– बीमा कम्पनी को आवंटित किये गये जिले में योजना की जानकारी कृषकों को उपलब्ध कराने एवं उनकी समस्याओं हेतु तहसील एवं जिला स्तर पर एक प्रतिनिधि आवश्यक रूप से नियुक्त कर कार्यालय स्थापित करके कार्यालय पता, मोबाईल नम्बर सहित कृषि आयुक्तालय, उपनिदेशक कृषि विस्तार एवं जिला कलक्टर को अवगत करायेंगे।

20– संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थान को बीमा से संबंधित सभी आंकडे राजस्थान सरकार द्वारा संचालित पोर्टल http://www.pmfby.rajasthan.gov.in पर फसल बीमा की अंतिम तिथि से 15 दिन के अंदर अपलोड करके सूचना कृषि आयुक्तालय को प्रेषित करेंगें।

21– जिले में कार्यरत बीमा कम्पनी द्वारा खरीफ 2017 योजना के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु एवं योजना की पूर्ण जानकारी हेतु माह जुलाई–अगस्त 2017 के अन्दर न्यूनतम एक कार्यशाला का आयोजन करना होगा। जिसमें राजस्व, जिले एवं कृषि आयुक्तालय के अधिकारियों तथा बैंकर्स को शामिल करना अनिवार्य होगा एवं आयोजन की प्रगति से कृषि आयुक्तालय को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

22– प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना वर्ष 2017–18 हेतु बीमा कम्पनियों, बैंकर्स, राजस्व विभाग, स्थानीय प्रशासन के दायित्व :–

(क) बीमा कम्पनियों का दायित्व–

(i) सम्बन्धित बीमा कम्पनी कार्यरत जिलें की प्रत्येक तहसील में अपना कार्यालय स्थापित कर कम्पनी कार्यालय के पूर्ण पता एवं दूरभाष नम्बर की सूचना से कृषि आयुक्तालय एवं जिला कलक्टर, उपनिदेशक कृषि विस्तार इत्यादि को तत्काल सूचित करेगी तथा इस सम्बन्ध में एक प्रेस नोट स्थानीय अखबार में जारी करेगी।

(ii) बीमा कम्पनी द्वारा योजना की जानकारी हेतु जिले में कम से कम एक कार्यशाला जुलाई/अगस्त 2017 में आयोजित की जाएगी, जिसमें जिलें में पदस्थापित समस्त सहायक कृषि अधिकारी, कृषि पर्यवेक्षक, तहसीलदार, गिरदावार व समस्त बैंक शाखा प्रबंधक मय जनप्रतिनिधीगण एवं प्रगतिशील कृषक इत्यादि की भागीदारी होगी। इस कार्यशाला का समस्त व्यय बीमा कम्पनी द्वारा वहन किया जाएगा।

(iii) बीमा कम्पनी द्वारा गैर ऋणी कृषकों का बीमा कृषक के चाहने पर करना अनिवार्य होगा।

(iv) बीमा कम्पनियों को प्रतिदिन फसल बीमा प्रगति से निर्धारित प्रपत्र में कृषि आयुक्तालय , जयपुर एवं जिला अधिकारी को अवगत कराना होगा।

(vi)गैर ऋणी कृषक द्वारा सीएससी एवं बैंक शाखा में पंजीकृत प्रस्तावों को बीमा कम्पनी द्वारा अनुमोदन कर अपलोड किए गए दस्तावेजों की प्रति को जाँचना होगा।

(vii)बीमा कम्पनी प्रत्येक 10000 कृषकों पर एक काल सेन्टर प्रतिनिधी उपलब्ध करवायेगी। काल सेन्टर सप्ताह के सातों दिवस पर, सुबह 08:00 बजे से सांय 08:00 बजे तक अपनी सेवाएँ उपलब्ध करवायेगा।

(ख) बैंकर्स का दायित्व–

(i) कॉमर्शियल एवं ग्रामीण बैंक की फसली ऋण वितरण करने वाली सभी शाखायें योजना के तहत बीमा आवरण के पात्र कृषि ऋणों को आवरित करने हेतु प्रस्ताव–पत्रों/कृषक सूचियों एवं कृषक के द्वारा देय प्रीमियम राशि बीमा कम्पनी राशि को प्रेषित करेगें।

(ii) जिला सहकारी बैंक के साथ संलग्न सहकारी समितियां कृषकों को फसली ऋण स्वीकृत एवं वितरित कर जिला सहकारी बैंक की सम्बन्धित शाखा को प्रस्ताव–पत्रों/कृषक सूचियों एवं प्रीमियम राशि प्रेषित करेंगे। जिला सरकारी बैंक की शाखाएं सहकारी समितियों से मिली सूचना को संकलित कर के प्रस्ताव–पत्रों/कृषक सूचियों एवं प्रीमियम राशि जिला सहकारी बैंक की नोडल कार्यालय को प्रेषित करेगें। नोडल कार्यालय सभी शाखा से प्राप्त सूचनाएं एवं प्रीमियम राशि बीमा कम्पनी को प्रस्तुत करेगी।

(iii) उपरोक्त दर्शाए गये फसली ऋण हेतु बैंक नाबार्ड/रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशो के अनुसार परिशिष्ट 3 में दी गई तिथियों तक स्वीकृत एवं वितरित किये गये फसली ऋण अनिवार्य रूप से फसल बीमा के तहत अधिसूचना में निर्धारित अवधि तक कृषकों के ऋण खाते से प्रीमियम राशि काटकर बीमा कम्पनी को कृषक प्रीमियम एनएफटी/आरटीजीएस के उपरांत ई–मेल के माध्यम से सम्बन्धित बीमा कम्पनी को यूटीआर नं., प्रीमियम राशि, बैंक ब्रांच एवं सम्बन्धित अधिकारी के मोबाईल नं. प्रेषित करेंगे।

(iv) सभी बैंक शाखाओं/नोडल बैंक शाखाओं द्वारा बीमा कम्पनी को इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा कि बैंक स्तर से अधिसूचित फसलों हेतु प्रीमियम की कटौती फसल बीमा की अधिसूचना में निर्गत निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार की गयी है एवं बैंक द्वारा योजनान्तर्गत सभी पात्र ऋणी कृषकों को फसल बीमा योजना कवरेज प्रदान किया गया है। इस प्रमाण–पत्र के साथ बैंक शाखाओं/नोडल बैंक शाखाओं द्वारा प्रीमियम की समेकित धनराशि बीमा कम्पनी को निर्धारण समयावधि में प्रस्तुत किया जायेगा।

(v) बैंको द्वारा कृषक प्रीमियम की राशि आरटीजीएस/नेफ्ट द्वारा भेजी जायेगी, डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा देय नहीं होगी।

(ग) राजस्व विभाग व जिला प्रशासन के दायित्व–

(i) खरीफ में 01 सितम्बर 2017 तक एवं रबी में 15 फरवरी 2018 समस्त जिले की खरीफ फसलों की बुवाई की सूचना राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाना।

(iii) जिला स्तर पर DLMC(जिला स्तरीय निगरानी कमेटी) का गठन करना तथा समय–समय पर बैठक बुलाकर बीमा कम्पनी के साथ फसल बीमा की प्रगति की समीक्षा करना।

(iv) तहसील स्तर पर मॉनिटरिंग कमेटी का गठन कर समय–समय पर बैठकों का आयोजन करना।

(v) जिला प्रशासन द्वारा फसल बीमा प्राप्त करने के लिये आधार नामांकित करवाये जाने हेतु वाणिज्यिक बैंकों की सभी शाखाओं, सहकारी समितियों की सभी शाखाओं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सभी शाखाओं, कृषि अथवा बागवानी अथवा सहकारी विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से मीडिया और वैयक्तिक सूचनाओं के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा और उन्हें ब्लाक अथवा तहसील में उपलब्ध नजदीकी नामांकन केन्द्रों पर अपने आप को नामांकित करवाने के लिये सलाह दी जाऐ एवं आधार नामांकन हेतु पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवायेगा।

(घ) सी एस सी (Commen Service Center) के दायित्व–

(प) सी एस सी से सम्पर्क करने वाले सभी गैर ऋणी कृषकों का बीमा करना अनिवार्य होगा।

सी एस सी द्वारा गैर ऋणी कृषकों का प्रस्ताव आनलाइन उपलब्ध कराना संभव होगा। जिन कृषकों का प्रस्ताव ऑनलाइन द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, ऐसे कृषकों की प्रीमियम राशि बीमा कम्पनी को प्रेषित की जाएगी।

(पप) गैर ऋणी कृषक द्वारा प्रस्तुत किए गए निम्न दस्तावेजों को ऑनलाइन स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा –

(अ) आधार कार्ड की प्रति ।

(ब) जमीन बंटाई का शपथ पत्र (बंटाईदार होने पर)।

(स) नवीनतम गिरदावरी की नकल।

(द) बैंक खाते के पास बुक की प्रति या खाते के रद्द (Canclled) चेक।

(य) बुवाई प्रमाण पत्र कृषि या राजस्व विभाग के कार्मिकों द्वारा जारी होना चाहिए ।

अधिसूचना सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

22/7/2017

(एस.पी.सिंह)
उप शासन सचिव, कृषि

क्रमांक : प.1(3)कृषि–1/एम0सी0/2017 जयपुर दिनांक : 22/7/2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय कृषि मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर ।
5. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, अजमेर ।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग,राजस्थान, जयपुर ।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग,राजस्थान, जयपुर ।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सचिव, शासन सचिव, सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
11. संयुक्त सचिव, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली ।
12. पंजीयक, सहकारी समितियां, सहकार भवन, राजस्थान, जयपुर ।
13. आयुक्त, कृषि, कृषि भवन, राजस्थान, जयपुर ।
14. समस्त सम्भागीय आयुक्त – – – – – – – –
15. समस्त जिला कलक्टर – – – – – – – – – –
16. निदेशक, उद्यान विभाग, पन्त कृषि भवन, जयपुर ।
17. निदेशक, भारत मौसम विज्ञान विभाग, सांगानेर, जयपुर ।
18. उप सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान किसान आयोग, पन्त कृषि भवन, जयपुर ।
19. महाप्रबन्धक, नाबार्ड, नेहरू पेलेस, टोंक रोड, जयपुर ।
20. अधीक्षक राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय को भेजकर लेख है कि इसे राजपत्र में प्रकाशित कराने की व्यवस्था करावे।
21. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद ————————
22. क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक कृषि ————————
23. उप निदेशक कृषि {विस्तार} जिला परिषद ————————
24. समन्वयक, राज्य स्तरीय बैकर्स समिति, बैंक आफ बडौदा, बडौदा भवन, प्लाट न. 13, एयरपोर्ट प्लाजा, टोंक रोड, दुर्गापुरा, जयपुर।
25. महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक, रामबाग सर्किल, जयपुर ।
26. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, टोक रोड़, जयपुर ।
27. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, अम्बाद्वीप बिल्डिंग, कस्तूरबा गांधी मार्ग, कनॉट पैलेस, दिल्ली ।
28. मुख्य प्रबंधक, एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, 98–सांधी उपासना टॉवर, अहिंसा सर्किल के पास, सी–स्कीम, जयपुर।
29. प्रबन्धक, स्काईमेट वैदर सर्विस प्रा.लि. 606, 6वां तल, क्राप्स आर्केड टावर, प्लान नम्बर–के–12,मालविया मार्ग सी–स्कीम, जयपुर
30. प्रबन्धक, एनसीएमएल, 351, द्वितीय तल नेमीसागर कालोनी, आर फर्नीचर हाउस, वैशाली नगर।
31. प्रबन्धक, इन्जन टेक्नों. प्रा. लि., जीसी–17, नीलगिरी काम्पलेक्स, आवास विकास–।, कल्याणपुर, कानपुर, उत्तरप्रदेश–208017
32. स्टेट हैड CSC-SPV

22/7/2017

उप शासन सचिव, कृषि